माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश , भोपाल

संस्था कोड- 742031

नवीन सम्बद्धता प्रमाण पत्र / सम्बद्धता नवीनीकरण प्रमाण पत्र

(शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु

म.प्र. शासन,स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा दिनांक 31 मार्च 2017 एवं संशोधित 03 मार्च 2020 जारी मान्यता नियम 2017 में विहित प्रावधान एवं मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम,1965(क्रमांक 23 सन् 1965) व माध्यमिक शिक्षा मण्डल विनियम 1965 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था **BHARAT JYOTI H.S.SCHOOL, LALIPUR, MANDLA** जिला **MANDLA** म.प्र. को **हाईस्कूल , हायरसेकेण्डरी** परीक्षा **कला विज्ञान वाणिज्य** संकाय **हिन्दी अंग्रेज़ी** माध्यम सम्बद्धता सत्र **2024-25** के लिये निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।:-

1.संस्था उन्हीं कक्षाओं एवं संकाय मे छात्रों को प्रवेश दे सकेगी, जिसके लिये माध्यमिक शिक्षा मण्डल से संबद्धता प्राप्त है।

2.मण्डल की हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा में नियमित छात्रों के रूप में सम्मिलित होने के लिये छात्रों की उपस्थिति 75 प्रतिशत होना अनिवार्य होगी।

3.संस्था को उनके शिक्षक, कर्मचारी एवं भवन, मण्डल की परीक्षाओं के लिए परीक्षा केन्द्र एवं मूल्यांकन कार्य हेतु, उपलब्ध करा अनिवार्य होगा। मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में छात्रों को सम्मिलित कराने के लिये संस्था को शासन/मण्डल द्वारा जारी निर्दे का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

4.माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारियों द्वारा शैक्षणिक सत्र के दौरान संस्था का निरी करवाया जा सकेगा।

5.माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश विनियम 1965 में विहित प्रावधानों के साथ-साथविनियम की कण्डिका 59 एवं 61 के निम्न प्रावधानो का विशेष रूप से पालन करना अनिवार्य होगा:-

5.1 ऐसी कोई जानकारी जिसकी मण्डल मांग करें, शिक्षण संस्था द्वारा दी जावेगी।

5.2 विनियमों में विहित प्रावधानों के तहत निर्धारित संख्या के मान से प्रत्येक सेक्शन के लिए पृथक-पृथक कक्ष की व्यवस्था की जायेगी।

5.3 अध्यापक वर्ग तथा गैर स्टाफ की संख्या तथा अर्हताएं वहीं होगीजो शासकीय संस्थाओं के तत्स्थानी कर्मचारियों के लिए नि की गई है।

6. मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्रमांक 23 सन् 1965), माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश विनियम, 1965, शिक्षा का अधिकार कानून (आर.टी.ई.) एवं मण्डल द्वारा जारी प्रवेश नीति के प्रावधानों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

7. सम्बद्धता प्रमाण पत्र संस्था में प्रदर्शित करना अनिवार्य है।

दिनांक - **19/06/2024**

पंजीयक
माध्यमिक शिक्षा म
मध्यप्रदेश, भोपाल

Principal
Bharat Jyoti Hr.Sec.School
Lalipur, Mandla

President
The Jabalpur Diocesan Educational Society

SECRETARY
Jabalpur Diocesan Educational Society
Jabalpur Cantt.

प्रारूप 2 (नियम 11(4) देखिए)

आवेदन क्रमांक/स्कूल क्रमांक 128533/ 668 कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मण्डला), मध्यप्रदेश

स्कूल BHARAT JYOTI HIGER SECONDARY SCHOOL MANDLAClass मान्यता का प्रकार - **नवीनीकरण मान्यता / नवीन मान्यता**

मान्यता दिनांक - 17/05/2022

Signature valid

Digitally signed by
Date: 2022.05.17 13.50.12
Reason: Issued by: deo m

सत्र - 2022-23

प्रति

प्रबंधक (BHARAT JYOTI HIGER SECONDARY SCHOOL MANDLAClass)

विषय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम,2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र ।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक **31/03/2022** तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार / निरक्षण के सन्दर्भ में, मैं आपकी स्कूल - **BHARAT JYOTI HIGER SECONDARY SCHOOL MANDLAClass** डाइस कोड - **23420119201** स्कूल क्रमांक - **PS 668** को कक्षा **प्री प्राइमरी-नर्सरी से आठवीं** तक के लिए दिनांक **01/04/2022** से **31/03/2025** तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो की पूर्ति के अध्यधीन होगी :-

- मान्यता विस्तारित नही होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/ संवंद्दता की कोई बाध्यता किसी भी रूप मे विवक्षित नही होगी
- स्कूल नि:शिल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम (उपबंध2) के उपबंधों का पालन करेंगा।
- स्कूल, अपने पडोसी की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात मे नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किन्तु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्ते कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्री स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहाँ अधिनियम कीधारा 12 की उपधारा (1) के खंड (क) से (ग) के उपबंध प्री-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे ।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा एसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा ।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस क संग्रह नही करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नही अपनाएगा ।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नही करेंगा -
  - (क) आयु के सबूत के आभाव में ;
  - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चयात ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
  - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर |
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि -
  - किसी स्कूल मे प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा
  - किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताडित नही किया जाएगा;
  - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीण करने कि आवश्यकता नहीं होगी ;
  - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
  - अधिनियम के उपबंधो के अनुसार नि:शक्त/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा
  - अधिनियम कि धारा 23(1) कि अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षको कि भर्ती कि जाएगी; बशर्ते कि वर्तमान मे कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम आर्हता नहीं रखते है, उन्हे अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष कि अवधि मे निर्धारित न्यूनतम आर्हता प्राप्त करनी होगी
  - शिक्षकों को अधिनियम कि धारा 24(1) के आधीन विनीरद्दष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा
  - प्रायवेट टीचिंग कि गतिविधियों मे शिक्षक स्वयं भाग नही लेंगे/लेंगी
- स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा
- अधिनियम कि धारा 19 मे विहित किए अनुसार स्कूल मे उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा

Principal
Bharat Jyoti Hr.Sec.School
Lalipur, Mandla